राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी (आबकारी) संख्या – 1630/2017/आबकारी/अजमेर.

श्रीमती रितु टाक पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण टाक,
ग्राम पालरा जिला अजमेर. .....प्रार्थी.

बनाम

आबकारी आयुक्त, राजस्थान सरकार, उदयपुर. .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अभिभाषक
श्री गिरधर शर्मा, सहायक आबकारी अधिकारी .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22/06/2018

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या प.29(बी)/11/अपील/आब/2017 में पारित किये गये आदेश दिनांक 09.10.2017 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9ए के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया को वर्ष 2009–10 के लिये देशी मदिरा समूह संख्या 14, अजमेर नगर निगम वार्ड नं0 46, ग्राम पंचायत पालरा का अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया, जिसकी प्रार्थिया द्वारा वांछित समस्त औपाचारिकतायें पूरी की गई। प्रार्थिया ने ग्रामीण क्षेत्र की पालरा देशी मदिरा दुकान को कम्पोजिट राशि जमा कराकर कम्पोजिट श्रेणी में स्वीकृति हेतु आवेदन किया। आबकारी विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में वांछित जांच की जाकर प्रार्थिया द्वारा कम्पोजिट फीस 25,000/– रूपये राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिये गये एवं उक्त राशि राजकोष में जमा होने पर प्रार्थिया का कम्पोजिट लाईसेंस स्वीकृत करते हुए प्रार्थिया को देशी मदिरा के साथ–साथ भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की खुदरा बिक्री की अनुमति दी गई, साथ ही वर्ष 2010–11 के लिये भी प्रार्थिया का अनुज्ञापत्र नवीनीकृत किया गया। जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर ने बाद में स्वीकृत दुकान की लोकेशन की जांच करने पर कम्पोजिट दुकान पालरा नगर निगम अजमेर की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित मानते हुए, आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2009–10 के आबकारी बंदोबस्त हेतु जारी विस्तृत दिशा–निर्देश एवं शर्त संख्या 8.2 के अनुसार, वर्ष 2009–10 का कम्पोजिट शुल्क रूपये 6,00,000/– व वर्ष

लगातार.....2

2010—11 का 20 प्रतिशत वृद्धि सहित रूपये 7,20,000/— अवधारित करते हुए आदेश दिनांक 08.07.2011 के द्वारा उक्त दोनों वर्षों के लिये कम्पोजिट राशि की देय अन्तर राशि रूपये 12,70,000/— राजकोष मे जमा कराने का आदेश दिया गया। आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2009—10 के आबकारी बंदोबस्त हेतु जारी दिशा—निर्देश एवं शर्तों की शर्त संख्या 8.2 के अनुसार यदि कोई कम्पोजिट दुकान किसी नगरपालिका अथवा नगर—निगम अथवा नगर परिषद की सीमा से 5 किलोमीटर तक की दूरी में ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित होती है, तो उससे लगते हुए नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर निगम क्षेत्र में दुकान हेतु जो दर प्रभावी है वही दर ऐसी दुकान हेतु लागू होगी। अन्य संभागीय मुख्यालय की श्रेणी में अजमेर हेतु यह दर रूपये 6,00,000/— निर्धारित थी। इसी शर्त के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी अजमेर ने आदेश दिनांक 08.07.2011 द्वारा बकाया राशि जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था। इस आदेश के विरूद्व प्रार्थिया ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष एस.बी. सिविल याचिका संख्या 8839/2011 प्रस्तुत की, जिसे माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 07.04.2014 से निर्णीत करते हुये आदेश दिया गया कि प्रकरण की नये सिरे से जांच कर याचिकाकर्ता अनुज्ञाधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये स्पष्ट आदेश पारित करें। प्रार्थिया ने दिनांक 05.05.2014 को जिला आबकारी अधिकारी अजमेर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इस अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुये जिला आबकारी अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 10.06.2014 से पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 8.7.2011 अनुसार प्रार्थिया की कम्पोजिट दुकान पालरा को नगर निगम अजमेर की सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी से कम दूरी पर मानते हुए पूर्ववर्ती आदेश अनुसार वर्ष 2009—10 के लिये रूपये 6,00,000/— तथा वर्ष 2010—11 के लिये रूपये 7,20,000/— देय बताते हुए, तदनुसार मय ब्याज राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया। प्रार्थिया द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील की जाने पर आबकारी आयुक्त के निर्णय दिनांक 16.11.2015 द्वारा अपील खारिज कर जिला आबकारी अधिकारी अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2014 को यथावत रखा गया।

3. आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 16.11.2015 के विरूद्ध प्रार्थिया द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष निगरानी संख्या 16/2016/अजमेर प्रस्तुत की जाने पर राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के आदेश दिनांक 28.04.2017 से निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण आबकारी आयुक्त को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया कि "वे संबंधित जिला आबकारी

लगातार.....3

अधिकारी से मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करे तथा मौका निरीक्षण हेतु निर्देशित करे कि दुकान स्वीकृति के समय नगर निगम अजमेर की सीमा से संबंधित नक्शा आदि दस्तावेज प्राप्त कर रिपोर्ट के संलग्न करते हुए दुकान स्वीकृति की लोकेशन के आधार पर प्रार्थीया को सूचित करते हुए स्वयं जिला आबकारी अधिकारी मौका निरीक्षण करे व फर्द मौका रिपोर्ट, नगर निगम सीमा से दुकान की अवस्थिति को दर्शाते हुए नजरी नक्शा रिपोर्ट के संलग्न करते हुए दूरी के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट भिजवाये तथा उपरोक्तानुसार रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय निष्कर्षों सहित पारित करें।" कर बोर्ड के उक्त आदेशों के अनुसरण में आबकारी आयुक्त द्वारा जिला आबकारी अधिकारी से मौका निरीक्षण रिपोर्ट तलब की जाकर आदेश दिनांक 09.10.2017 से पूर्व आदेश दिनांक 16.11.2015 को यथावत रखा गया। आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थिया द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. प्रार्थिया के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थिया को देशी मदिरा दुकान समूह संख्या 14 वर्ष 2009—10 के लिए आबकारी विभाग द्वारा सम्पूर्ण जांच के उपरान्त नगरीय सीमा से 5 किमी से अधिक दूरी पर स्थित होने के आधार पर रूपये 25,000/— कम्पोजिट फीस जमा कराने के आधार पर दुकान की स्वीकृति जारी की गयी। इसी प्रकार वर्ष 2010—11 के नवीनीकरण आदेश में भी उक्तानुसार 25000/— रूपये कम्पोजिट फीस जमा कराने सम्बन्धी आदेश जारी किये गये। इसके पश्चात् जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उक्त दुकान को नगरीय सीमा से 5 किमी. की दूरी के भीतर होना अवधारित करते हुए प्रार्थिया के विरूद्ध तदनुसार राशि का आरोपण किया जाना विधिविरूद्ध है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा आबकारी आयुक्त को स्पष्ट निर्देश दिये जाने के बावजूद आबकारी आयुक्त द्वारा पूर्ववर्ती आदेश को यथावत रखते हुए प्रार्थिया की अपील अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड के **निगरानी संख्या 448/2015/अजमेर संतोष आचार्य पुत्र कुन्दनमल आचार्य, अजमेर बनाम राजस्थान सरकार जरिये आबकारी आयुक्त, अजमेर में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2017** का हवाला देते हुए प्रार्थिया की निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

लगातार.................4

6. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त के निर्णय का समर्थन करते हुए प्रार्थिया की निगरानी अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रार्थिया द्वारा वर्ष 2009–10 के लिये देशी मदिरा समूह संख्या 14 अजमेर वार्ड संख्या 46 ग्राम पंचायत पालरा हेतु आवेदन किये जाने पर तात्कालिक आबकारी निरीक्षक द्वारा शहरी सीमा से 5 किमी से अधिक दूरी पर स्थित होने के आधार पर कम्पोजिट फीस रूपये 25,000/– जमा कराने के निर्देश के साथ अनुज्ञापत्र स्वीकृति दिनांक 24.2.2009 को जारी की गयी। इसके पश्चात् वर्ष 2010–11 के लिये उक्त अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु भी कम्पोजिट फीस रूपये 25000/– जमा कराने सम्बन्धी आदेश दिनांक 15.02.2010 को जारी किये गये। इसके पश्चात् जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी निरीक्षक से जांच करवाने पर उक्त दुकान नगरीय सीमा से 5 किमी से अधिक दूरी पर अवस्थित होना अवधारित करते हुए कम्पोजिट राशि नगर निगम सीमा में अवस्थित भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर की दुकान की लाईसेंस फीस के बराबर होना बताते हुए तद्नुसार अन्तर राशि रूपये 5,75,000/– व रूपये 6,95,000/– कुल रूपये 12,70,000/– जमा कराने के आदेश दिनांक 27.01.2011 को जारी किये गये।

9. प्रकरण में जिला आबकारी अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आबकारी विभाग द्वारा प्रार्थिया की दुकान को नगरीय सीमा से 5 किमी से अधिक दूरी पर अवस्थित होना मानते हुए तद्नुसार ग्रामीण क्षेत्र की दर अनुसार राशि वसूल की जाकर भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर की दुकान की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके पश्चात् बिना किसी आधार के उक्त दुकान को नगरीय सीमा से 5 किमी की परिधि में अवस्थित होना बताते हुए प्रार्थिया को रूपये 12,70,000/– जमा कराने के निर्देश दिये गये। इसी क्रम में प्रार्थिया द्वारा राजस्थान कर बोर्ड में निगरानी प्रस्तुत की जाने पर कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा आबकारी आयुक्त को जिला आबकारी अधिकारी से मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जाकर विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने के निर्देश दिये गये, जिनकी पालना में जिला आबकारी अधिकारी स्वयं ने मौका निरीक्षण कर आबकारी आयुक्त को रिपोर्ट प्रेषित करते हुए दिनांक 01.4.2009 अर्थात् वर्ष 2009–10 के लिये आवेदन–पत्र स्वीकृति के

लगातार.....5

समय नगरीय सीमा से उक्त दुकान की दूरी 5 किमी. बताई गई, किन्तु 19.6.2010 को जिला कलेक्टर द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार किये गये संशोधन के फलस्वरूप उक्त दुकान की नगरीय सीमा से दूरी 4.2 हो जाना बताया गया। उक्त रिपोर्ट से स्वतः स्पष्ट है कि कम्पोजिट दुकान की स्वीकृति के समय नगरीय सीमा से दूरी 5 किमी. से अधिक थी। पटवारी, पटवार मण्डल, पालरा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 04.12.2010, जो कि जिला आबकारी अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 22 पर उपलब्ध है, में उक्त दुकान की शहरी सीमा से दूरी 5 किमी से अधिक बताई गई है। तहसीलदार, अजमेर द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित पत्र क्रमांक 946 दिनांक 10.02.2011 में उक्त दुकान की शहरी सीमा से दूरी पृथक–पृथक रास्तों से क्रमशः साढ़े छः किमी. व छः किमी दूर होना बताया गया। कर बोर्ड के निर्देशों की पालना में स्वयं जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण में भी दूरी 5 किमी से अधिक बताई गई है। ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर की पश्चात्वर्ती सीमांकन सम्बन्धी अधिसूचना के आधार पर प्रार्थिया के पूर्ववर्ती वर्षों के लिये जारी दुकान की कम्पोजिट फीस को नगरीय सीमा में अवस्थित दुकानों के समान मानते हुए तद्नुसार मांग कायम किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

10. इसी सन्दर्भ में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा **निगरानी संख्या 448/2015/अजमेर संतोष आचार्य पुत्र कुन्दनमल आचार्य, अजमेर बनाम राजस्थान सरकार जरिये आबकारी आयुक्त, अजमेर में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2017** में हस्तगत प्रकरण के सदृश तथ्यों पर निम्न निर्णय दिया गया है :–

> "8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली का अध्ययन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त को लिखे गये पत्र जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 38–39 पर उपलब्ध है, द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त दुकान वर्ष 2007–2008 एवं 2008–2009 में भी इसी स्थान पर चल रही थी एवं उस दौरान भी 25,000/– रूपये कम्पोजिट फीस जमा करवाई गई थी। प्रस्तुत प्रकरण में भी प्रार्थी को देशी मदिरा दुकान वर्ष 2009–10 के लिए तात्कालिक आबकारी निरीक्षक द्वारा शहरी सीमा से 5.03 किमी दूर दर्शाते हुए कम्पोजिट फीस रूपये 25,000/– जमा करते हुए कम्पोजिट स्वीकृति हेतु अपनी अनुशंषा के साथ आबकारी अधिकारी को प्रेषित की है, जिसके आधार पर प्रार्थी को वर्ष 2009–10 के लिये कम्पोजिट का लाभ दिया गया। उक्त वित्तीय वर्ष 2009–10 व्यतीत होने

लगातार.....6

के उपरान्त वर्ष 2010–11 के लिये प्रार्थी को अनुज्ञापत्र नवीनीकरण विभाग द्वारा दिनांक 15.02.2010 को कम्पोजिट फीस राशि रूपये 65,520/– प्राप्त करते हुए स्वीकृत किया। तत्पश्चात उक्त अधिक़ारी के स्थानान्तरण के उपरान्त दि. 23.04.2010 को नव–पदस्थापित आबकारी निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि उक्त दुकान अजमेर नगर निगम सीमा से 2 किमी की दूरी पर संचालित है एवं पूर्व पदस्थापित आबकारी निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.03.2009 को मिथ्या बतलाते हुए अपने प्रस्ताव आबकारी अधिकारी को भिजवाये, आबकारी अधिकारी ने प्राप्त रिपोर्ट को बिना किसी आधार के उचित मानते हुए उक्त दुकान को नगर निगम सीमा से 2 किमी की दूरी पर स्थित आंकते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार किया एवं अन्तर राशि रूपये 12,29,480/– में से धरोहर राशि रूपये 5,75,290/– वसूलते हुए शेष राशि रूपये 6,54,190/– एवं ब्याज अधिनियम की धारा 30(क) वसूलने के आदेश दिनांक 10.06.2014 को जारी किये। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अपील आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने पर आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 20.02.2015 द्वारा प्रार्थी की अपील अस्वीकार की है।

प्रार्थी द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत नियमानुसार कम्पोजिट स्कीम के तहत ही आवेदन किया था एवं आबकारी निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.03.2009 के बिन्दु संख्या 12 में स्पष्ट उल्लेखित किया है कि :– **"प्रस्तावित दुकान का स्थल शहरी सीमा से 5.03 किमी की दूरी पर स्थित है इसलिये कम्पोजिट दुकान के लिये राशि रूपये 25,000/– देय है, जो चालान दिनांक 26.03.2009 बैंक एसबीबीजे द्वारा राजकोष में जमा का संलग्न है।"** उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही प्रार्थी को वर्ष 2009–10 के लिये कम्पोजिट का लाभ प्रदान किया गया, जोकि प्रार्थी द्वारा उपभोग किया गया। तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये प्रार्थी द्वारा नवीनीकरण का आवेदन किया गया, जिसको आबकारी अधिकारी ने पूर्व में स्वीकृत कम्पोजिट के आधार पर ही वर्ष 2010–11 के लिये भी कम्पोजिट का लाभ प्रदान किया। ऐसी स्थिति में आबकारी निरीक्षक के स्थानान्तरित हो जाने पर नवीन रिपोर्ट के आधार पर पूर्व वित्तीय वर्ष 2009–10 की रिपोर्ट को मिथ्या मानना एवं भूतलक्षी प्रभाव से राशियों का आरोपण किया जाना अविधिक प्रतीत होता है। पूर्व में दिनांक 26.03.2009 को पदस्थापित आबकारी निरीक्षक द्वारा यदि गलती की गई है तो उसकी सजा प्रार्थी को दिया जाना अनुचित एवं अविधिक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों तथा गुणावगुणों को

लगातार.....7

मध्यनजर रखते हुए आबकारी अधिकारी एवं आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश अनुचित एवं अविधिक होने के कारण निरस्तनीय योग्य पाये जाते है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकारते हुए आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2015 अपास्त किया जाता है एवं उन्हें निर्देश दिये जाते है कि वे मांग राशि रूपये 12,29,480/— के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा जमा करवाई गई राशि रूपये 9,25,290/— मय धरोहर राशि प्रार्थी को विधियुक्त प्रक्रियाधीन आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर लौटावें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हों।''

11. हस्तगत प्रकरण उपरोक्त न्यायिक निर्णय से पूर्णतया आच्छादित है, जिसमें माननीय खण्डपीठ द्वारा समान तथ्यों पर निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर, आबकारी आयुक्त को जमा राशि प्रार्थी को रिफण्ड किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में माननीय खण्डपीठ के उपरोक्त निर्णय के आलोक में प्रार्थिया की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा प्राथिया द्वारा आबकारी आयुक्त के आदेश के विरूद्ध कर बोर्ड में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु बाध्यकारी रूप से जमा करवाई गई राशि इस आदेश प्राप्ति से एक माह की अवधि में नियमानुसार प्रार्थिया को लौटाये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

12. निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य